Date
Page

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (National Talent Search Scheme) →

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष 1963 में कक्षा दस के स्तर पर विशेष प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली के लिए प्रायोगिक परियोजना, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज प्रारम्भ की थी। वर्ष 1964 के दौरान कुल 350 छात्रवृत्तियों के साथ इसे देशभर में बढ़ा दिया गया। कुछ वर्षों के दौरान योजना में अनेक परिवर्तन किये और वर्ष 1977 में इसका नाम बदल कर 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना' कर दिया गया। इस समय छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 1000 है। इनमें से 150 अनुसूचित जाति और 75 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। छात्रवृत्तियों का चयन दो चरणों में किया जाता है। पहले चरण का चयन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। यह परीक्षा प्रत्येक साल नवम्बर में होती है। निर्धारित संख्या में उम्मीदवारों की सिफारिशें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं तकनीकी परिषद को जाती है। यह सिफारिश दूसरे स्तर के चयन के लिए होती है, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों ही होते हैं। लिखित परीक्षा मई में होती है और साक्षात्कार जुलाई-अगस्त में होते हैं।

Scanned with CamScanner

छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएँ →

केन्द्र व राज्य सरकार समग्र-2 पर अभिभावकों और छात्रों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने तथा अभिभावकों पर बिना आर्थिक भार डाले सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार विभिन्न छात्र कल्याणकारी योजनाएँ लागू करती है।

भारतीय शिक्षा आयोग 1964 या कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में छात्रवृत्तियों की योजनाएँ संचालित करने, पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराने के साथ-2 अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाने की सिफारिश की है। इसके पूर्व वर्धा योजना में डा० जाकिर हुसैन ने भी छात्र कल्याण हेतु उपाय करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी।

छात्रवृत्ति वितरण → प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 300 रुपये, उच्च प्राथमिक में 480 रुपये तथा विकलांग छात्रों को 360 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग तथा विकलांग पुनर्वास कल्याण विभाग से दी जाती है।

कक्षा 1 से 8 तक सामान्य जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अभिभावकों के बच्चों को आवी छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशी ग्राम शिक्षा निधि के खाते में आती

Scanned with CamScanner

है, जिसको ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। छात्रवृत्ति विद्यालय में प्रधान शिक्षक की देख - रेख में ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी वितरित करते हैं।

छात्रवृत्ति वितरण चक्र / प्रक्रिया →

क्र०सं०	छात्रवृत्ति हेतु पात्रता प्राथमिक उच्च प्राथमिक के छात्र/छात्रा	धनराशि वार्षिक	छात्रवृत्ति आपूर्तिकर्ता विभाग / एजेंसी	वितरक
1-	सभी छात्राएँ प्राथमिक 1-5 कक्षा तक उच्च प्राथमिक 6-8 कक्षा तक	300.00 480.00 वार्षिक	समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी	ग्राम पंचायत / ग्राम पंचायत अधिकारी
2-	पिछड़े वर्ग के सभी छात्र-छात्राएँ प्राथमिक 1-5 तक उच्च प्राथमिक 6-8 तक (अल्प समुदाय के पिछड़ी जाति शामिल है)	300.00 480.00 वार्षिक	अधिकारी पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	
3-	अनुसुचित /अनु० जनजाति सभी छात्र- छात्राएँ कक्षा 1 से 5 तक कक्षा 6-8 तक	300.00 480.00 वार्षिक	जिला समाज कल्याण अधिकारी	
4-	सामान्य जाति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के पुत्र 1-5 तक कक्षा 6-8 तक	300.00 480.00 वार्षिक	जिला समाज कल्याण अधिकारी	
5-	सामान्य अल्पसंख्यक विकलांग छात्र / छात्रा कक्षा 1-5 तक कक्षा 6-8 तक	300.00 480.00 वार्षिक	जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	

Scanned with CamScanner